फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी करेड़ा
सवाई सिंह बनाम डाउ वगेरा

किस्म प्रार्थना पत्र मुकदमा धारा 212 रा0काश्त0अ0 1955 नम्बर 18 सन 2018

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2018	प्रार्थीगण की और से उक्त प्रार्थना पत्र पेश हुआ। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि ग्राम गोमा का बाडिया के हॉल आराजी नम्बर 4445/1275 रकबा 01 बीघा पर पिछले 60 वर्षो से प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी संख्या 03 का कब्जा चला आ रहा है तथा उन्होने काफी मेहनत लगाकर काबिलकास्त बनाया उक्त भूमि गलततोर से विपक्षी सं0 1 के नाम पर आवंटित हो गई इस संबंध में विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी के पिता व विपक्षी संख्या 03 को एक इकरार पत्र लिख कर दिया की उक्त भूमि प्रार्थीगण के पिता व विपक्षी संख्या 03 की है विपक्षी संख्या 01 ने उक्त भूमि के बिना अधिकार विपक्षी संख्या 02 को विक्रय करा दि व विपक्षी संख्या 02 भी अन्य के नाम अन्तरण करने पर उतारू है इसलिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे विवादग्रस्त आराजियात को किसी भी माध्यम से अंतरण नहीं करे। तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गोमा का बाडिया के हॉल आराजी नम्बर 4445/1275 रकबा 01 बीघा की उभय पक्ष को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। हुक्मचंद इन्तनाई रोजा पेश होने पर जारी हो। अतः प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 28.03.2018 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा	ता. 8/1/18 (हस्ताक्षर)
	28/3/18 पत्रावली पेश हुई [illegible] प्रकरण को Not Press किया [illegible] अतः प्रकरण Not Press में खारिज किया जाता है [illegible] 8/1/18 [illegible]	Not Press [illegible]

Scanned by CamScanner

[illegible] रवा[illegible] की
पत्रावली फैसल शुमार होकर
नंबर से कम हो। पत्रावली मूल
वाद की पत्रावली के साथ
संलग्न होवे।

[illegible]

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Scanned by CamScanner